

अनुदान संख्या 69 – अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
GRANT No. 69 - MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	4868,98,00		
		4868,99,00	3888,56,93	-980,42,07
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			980,41,69
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	160,02,00	110,00,00	-50,02,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			50,02,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “2225”	Major Head “2225”			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	265672.00		
		256870.20	256870.18	-0.02
पु.	R.	-8801.80		

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	48890.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-19042.15	29848.85	29846.31	-2.54
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	48765.00			
		
पु.	R.	-48765.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	120517.00			
			99768.36	99768.35	-0.01
पु.	R.	-20748.64			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	555.00			
		
पु.	R.	-555.00			

(I) ₹49320.00 लाख का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹48280.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष “2552” – “सामान्य – (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) – अन्य व्यय” –

(क) “अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता और साधन छात्रवृत्ति” – ₹3600.00 लाख;

(ख) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति” – ₹11000.00 लाख;

(ग) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति” – ₹5200.00 लाख;

(घ) “अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” – ₹1500.00 लाख;

(ङ) “कौशल विकास पहल” – ₹2500.00 लाख;

(च) “पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में विकास हेतु कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण” – ₹600.00 लाख;

(छ) “नई मंजिल” – ₹1200.00 लाख;

(ज) “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” – ₹21255.00 लाख; और

(झ) “मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन को सहायता अनुदान” – ₹900.00 लाख;

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹49320.00 lakhs remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹48280.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head “2552” - “General (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Other Expenditure” -

(a) “Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses for Minorities” - ₹3600.00 lakhs;

(b) “Pre-Matric Scholarship for Minorities” - ₹11000.00 lakhs;

(c) “Post-Matric Scholarship for Minorities” - ₹5200.00 lakhs;

(d) “National Fellowship for students from Minority Communities” - ₹1500.00 lakhs;

(e) “Skill Development Initiatives” - ₹2500.00 lakhs;

(f) “Upgrading Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD)” - ₹600.00 lakhs;

(g) “Nai Manzil” - ₹1200.00 lakhs;

(h) “Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - ₹21255.00 lakhs; and

(i) “Grants-in-Aid to Maulana Azad Education Foundation” - ₹900.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” – ₹525.00 लाख संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “2225” – “अल्पसंख्यकों का कल्याण” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “आर्थिक विकास – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” – ₹8801.03 लाख की बचत (₹18902.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम कार्यशालाओं का आयोजन होने, कम पेशवरों को रखे जाने, संघ राज्य क्षेत्रों/पीएसईएस से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) “शिक्षा” –

(क) “अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” – ₹8650.00 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेशवरों को नहीं रखे जाने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) “मुफ्त कोचिंग और संबद्ध स्कीम” – ₹2656.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और कम पेशवरों को रखे जाने के कारण हुई।

(ग) “नई मंजिल” – ₹4816.44 लाख की बचत (₹10800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति न होने, कोविड-19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने और कार्यशालाओं/बैठकों का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head “3602” “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram” - ₹525.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from Union Territories.

(II) Under Major Head “2225” - “Welfare of Minorities” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Economic Development - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - saving of ₹8801.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18902.00 lakhs) was due to conduction of less workshops, hiring of less professionals and receipt of less proposals from UTs/PSEs.

(B) “Education” -

(a) “Maulana Azad National Fellowship for Minority Students” - saving of ₹8650.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was due to non-hiring of professionals and receipt of less claims from University Grant Commission.

(b) “Free Coaching and Allied Scheme” - saving of ₹2656.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates from the programme implementing agencies and less hiring of professionals.

(c) “Nai Manzil” - saving of ₹4816.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10800.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates from the programme implementing agencies, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and non-conduction of workshops/meetings.

(III) मुख्य शीर्ष “2235” – “समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायिकी” – ₹980.83 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों के लिए ब्याज सहायिकी की प्रतिपूर्ति से संबंधित नोडल बैंक द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) “कौशल विकास पहल” – ₹3472.51 लाख की बचत (₹22470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(गा) “अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान” – ₹3388.02 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम विज्ञापन जारी होने के कारण हुई।

(घा) “हज पर व्यय” – ₹934.20 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज शिष्टमंडल के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण का आयोजन न होने और हज 2020 के रद्द होने की वजह से कम प्रतिनियुक्ति रखे जाने के कारण हुई।

(ङ) “भारत का महावाणिज्य दूतावास की स्थापना, जेद्दाह” – ₹8373.85 लाख की बचत (₹8800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कम प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने, हज 2020 को रद्द किए जाने की वजह से कम भवन निर्माण किए जाने और कम आईटी पेरिफेरल्स की अधिप्राप्ति होने के कारण हुई।

(चा) “कौमी वक्फ बोर्ड तारकियाती स्कीम” – ₹1610.17 लाख की बचत (₹1620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्तावों/उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति न होने, कोविड-19 की वजह से बैठकों के न होने और कम पेशेवरों को रखे जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “2235” - “Social Welfare - Other Programmes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Interest subsidy on Educational Loans for Overseas studies” - saving of ₹980.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Nodal Bank towards reimbursement of interest subsidy for beneficiaries.

(B) “Skill Development Initiatives” - saving of ₹3472.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22470.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from programme implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

(C) “Media Campaign for Minorities” - saving of ₹3388.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to release of less advertisement.

(D) “Expenditure on Haj” - saving of ₹934.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-conduction of orientation training of Haj deputationists and hiring of less deputationists owing to cancellation of Haj 2020.

(E) “Establishment of Consulate General of India, Jeddah” - saving of ₹8373.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8800.00 lakhs) was due to less tours undertaken, hiring of less deputationists, construction of less buildings and less procurement of IT peripherals owing to cancellation of Haj 2020.

(F) “Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme (QWBTS)” - saving of ₹1610.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1620.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals/utilization certificates, non-conduction of meetings owing to COVID-19 and hiring of less professionals.

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “शिक्षा सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं आजीविका और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम” – ₹524.82 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” – ₹20223.83 लाख की बचत (₹119317.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से राज्यों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1494.33 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 33 से 48 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2225” – “अल्पसंख्यकों का कल्याण – शिक्षा” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) “अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता और साधन छात्रवृत्ति” – ₹3432.98 लाख का अधिक व्यय (₹36090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुआ);

(खा) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के पूर्व छात्रवृत्ति” – ₹10709.57 लाख का अधिक व्यय (₹121490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुआ); और

(गा) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति” – ₹3182.29 लाख का अधिक व्यय (₹47890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुआ)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिविकम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Education Empowerment, Skill Development and Livelihoods and Special Programmes of Minorities” - saving of ₹524.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments.

(B) “Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - saving of ₹20223.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹119317.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States owing to COVID-19 pandemic.

(V) Under four heads savings of ₹1494.33 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 33 percent to 48 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were offset by excess under Major Head “2225” - “Welfare of Minorities-Education” -under the following heads:-

(A) “Merit-cum-Means Scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities” - excess of ₹3432.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36090.00 lakhs);

(B) “Pre-Matric Scholarship for Minorities” - excess of ₹10709.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹121490.00 lakhs); and

(C) “Post-Matric Scholarship for Minorities” - excess of ₹3182.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47890.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552”

लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2252” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “4225”	Major Head “4225”	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	
मू.	O.	14401.00
पु.	R.	-3401.00
		11000.00
		11000.00
		..
मुख्य शीर्ष “4552”	Major Head “4552”	
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas	
मू.	O.	1600.00
पु.	R.	-1600.00
		..
		..
		..

(I) ₹1602.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1600.00 लाख मुख्य शीर्ष “4552” - “सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम” के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों

(I) Provision of ₹1602.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹1600.00 lakhs alone accounted for under Major Head “4552” - “General (Capital Outlay on Welfare for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities)-Investment in Public Sector and Other Undertakings-National Minorities Development and Finance Corporation” - due to

को किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष “4225” – “अल्पसंख्यकों का कल्याण – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम” के अंतर्गत ₹3400.00 लाख की बचत (₹14400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “4225” - “Welfare of Minorities-Investment in Public Sector and Other Undertakings-National Minorities Development and Finance Corporation” - saving of ₹3400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14400.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
